

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य समाज के गरीब, परिवार के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता पहुँचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत 60 वर्ष या अधिक आयु के अति वृद्धजन, अन्य वृद्धजन को एक समान राशि का लाभ देने हेतु राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा प्रावधानित है।

3. देय राशि

इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के 60-79 वर्ष आयु के वृद्ध व्यक्ति को 400/- ₹ प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को 500/-₹ प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

4. पात्रता

बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या अधिक आयु के महिला/पुरुष इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आच्छादित होंगे।

5. प्रक्रिया

इस योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में जिला से प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी। साथ ही सभी योजनाओं में प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जाँच दल का भी गठन किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

इस के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।